



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 पौष, 1944 (श०)

संख्या - 13 राँची, सोमवार, 16 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

9 दिसम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-19/2016-18458 (HRMS)--श्री प्रमोद राम, झा०प्र०से०, (द्वितीय बैच, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कुंदा, चतरा के विरुद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-709/स्था०, दिनांक 19.12.2016 द्वारा आरोप-पत्र (प्रपत्र-‘क’) गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-‘क’ में श्री राम के विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किया गया-

1. ग्राम डोकवा थाना नं०-265 के अन्तर्गत 7.79 एकड़ भूमि सर्वे खतियानी रैयत गोविंद पाण्डेय, पिता-रमन पाण्डेय के नाम से दर्ज है। नीलांचल कंपनी के पक्ष में विक्रेता नवल किशोर गुप्ता एवं दशरथ साव, पिता-स्व० तुलसी साव को खतियानी रैयत का कोई संबंध नहीं है। पंजी-II में परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में कोई आधार दर्ज नहीं है। पंजी-II Volume-I पृष्ठ संख्या 68 पर दशरथ साव, पिता-तुलसी साव के नाम से 9.62 एकड़ भूमि की जमाबंदी कायम है। उक्त भूमि को सादा हुकुमनामा से प्राप्त करने की बात दशरथ साव द्वारा कही गई है, जो कि जमाबंदी कायम होने का आधार नहीं है। सर्वे खतियान में उक्त भूमि की किस्म रैयती दर्ज है एवं यह जमीन किस प्रकार हुकुमनामा से प्राप्त हुआ है, इसकी कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार 7.79 एकड़ भूमि की जमाबंदी अवैध है। उक्त मौजा में

खाता सं०-6 एवं 7 कुल रकबा-12.03 एकड़ भूमि का हस्तांतरण नीलांचल कंपनी को नवल किशोर गुप्ता एवं दशरथ साव, पिता-स्व० तुलसी साव द्वारा किया गया है, जो अवैध है, क्योंकि सर्वे खतियान में उक्त दोनों खाता डोकवा मौजा थाना नं०-265 में नहीं है।

2. मौजा पचम्बा के थाना संख्या-264 के अन्तर्गत 26.78 एकड़ भूमि सर्वे खतियानी रैयत यथा घुटारी गंझु, पिता-दर्शन गंझु, बंधु गंझु, अन्हक्ष गंझु, पिता- रामदयाल गंझु, यदु गंझु, पिता-निरंजन गंझु, निरपद गंझु, पिता-जठु गंझु, बैहरू गंझु, पिता-बुचु गंझु, भिखु गंझु, पिता-लेदा गंझु के नाम से दर्ज है। विक्रेता नवल किशोर गुप्ता एवं दशरथ साव, पिता-स्व० तुलसी साव का सर्वे खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। विक्रेता के नाम से कायम जमाबंदी अवैध है, क्योंकि जमाबंदी कायम होने का आधार पंजी-॥ में दर्ज नहीं है।

मौजा पचम्बा के थाना नं०-264 के अन्तर्गत 2.51 एकड़ भूमि की माँग पृष्ठ संख्या-77 पर खाता संख्या-16/37, रकबा-0.32 एकड़, पृष्ठ संख्या-78 पर खाता संख्या-16/27, रकबा-1.22 एकड़ एवं पृष्ठ संख्या-80 पर खाता संख्या-16/20, रकबा- 0.97 एकड़ दर्ज है। कुल रकबा-2.51 एकड़ का माँग पंजी-॥ पर कायम है, किन्तु सर्वे खतियान में खाता संख्या-16/27, 16/20 एवं 16/37 अंकित नहीं है। इस प्रकार पृष्ठ संख्या-77 एवं 78 पर दशरथ साव के नाम पर कायम जमाबंदी कुल रकबा-1.54 एकड़ एवं पृष्ठ संख्या-80 पर तुलसी साव के नाम से कायम जमाबंदी रकबा-0.97 एकड़ कुल भूमि 2.51 एकड़ की कायम जमाबंदी अवैध है। पंजी-॥ में खाता संख्या-4/19, रकबा-1.39 एकड़ दर्ज है, किन्तु सर्वे खतियान में खाता सं०-4/19 नहीं है। नीलांचल कंपनी के नाम से दाखिल खारिज वाद संख्या-71/10-11 के द्वारा अवैध तरीके से नामांतरण किया गया है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-1345, दिनांक 13.02.2017 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की माँग गई एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया, परन्तु इनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-26312(HRMS), दिनांक 17.10.2019 द्वारा श्री राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-98, दिनांक 10.02.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राम के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री राम के विरुद्ध गठित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राम के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया है।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-3950, दिनांक 12.08.2021 द्वारा श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है। श्री राम के पत्रांक-259/आ०, दिनांक 20.04.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है। श्री राम द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है-

(i) अंचल कुंदा के मौजा डोकवा एवं मौजा-पंचम्बा की कुल 50.50 एकड़ भूमि नीलांचल आयरन एण्ड पावर लि० के नाम से अवैध जमाबंदी करने का लगाया गया आरोप सही नहीं है। झारखण्ड के लगभग सभी अंचलों में सर्वे खतियान जो 1932 में प्रकाशित सर्वे खतियान की प्रति उपलब्ध नहीं है। कुन्दा अंचल में भी खतियान की प्रति उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण जमाबंदी के समय पंजी-11 से खतियान का मिलान संभव नहीं होता है और पंजी-11 में अंकित प्रविष्टि के आधार पर ही और क्षेत्रीय कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर व्यवहारिक रूप से राजस्व संबंधी सभी कार्य का निष्पादन किया जाता है। ठीक इसी तरह उनके कार्यकाल के दौरान अंचल कुंदा के मौजा डोकवा एवं मौजा-पंचम्बा की कुल 50.50 एकड़ भूमि नीलांचल आयरन एण्ड पावर लि० के नाम से जमाबंदी कायम किया गया। सर्वे खतियान और पंजी 2 दो अलग-अलग दस्तावेज हैं। सर्वे खतियान तत्कालीन परिस्थिति में जिनके पास भूमि थी उनका नाम दर्ज है। भूमि हस्तांतरणीय सम्पत्ति है, जिसका कई प्रकार से हस्तांतरण किया जाता है जैसे- दान, वसीयतनामा, बिक्री इस्तिफानामा, न्यायिक आदेश तथा नादाबी पत्र इत्यादि। इसलिए खतियान में दर्ज रैयत का नाम एवं पंजी 2 में दर्ज रैयत का नाम में अंतर होना स्वभाविक है।

जाँच पदाधिकारी का यह कहना कि राजस्व अभिलेखों की गहन गुण दोष की जाँच नहीं की गयी यह सही नहीं है, क्योंकि जो दस्तावेज (सन् 1932 का खतियान) अंचल कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं था इसलिए उसका मिलान पंजी 2 से नहीं किया जा सकता था। उनके द्वारा उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के आधार पर गहन जाँच कर पूर्ण सतर्कता से नियमानुसार जमाबंदी कायम किया है।

(ii) माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड द्वारा परिवाद सं०-01/लोक(राजस्व) 09/2015 में दिनांक 05.09.2018 को पारित आदेश, जो लोकायुक्त कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5566, दिनांक 03.10.2018 के द्वारा सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को तथा संयुक्त सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने पत्रांक- 4563/रा०, दिनांक 08.11.2018 द्वारा सभी उपायुक्त, झारखण्ड को संसूचित किया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि "अंचल अधिकारी द्वारा पारित नामान्तरण आदेश मुख्यतः राजस्व कर्मचारी या अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर होता है। अतः किसी नामान्तरण वाद के निपटारे में जिस प्रकार की अनियमितताएँ होती हैं, उनमें मूल भूमिका राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक की होती है।

(iii) उनके द्वारा W.P.(C) No. 4853 of 2017 (Ashok Kumar Singh Vs State of Jharkhand) में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक 25 August 2018 में पारित आदेश की कंडिका-7 एवं दाखिल खारिज प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

(iv) मंत्रिपरिषद् द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि-"अवैध/ संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँचोपरांत रद्द करने के संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत निदेश पत्रांक-2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 के क्रम में अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गए अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुवल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। अवैध जमाबंदी के अभिलेखों में पारित अंतिम आदेश से उपरोक्त निर्णय प्रभावित होगा। वैसे सभी अन्य मामले, जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही के बिना भी लगान रसीद निर्गत किया जाना बाधित है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था करते हुए रसीद निर्गत किया जाय।"

सरकार के इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि जब तक जमाबंदी को सक्षम प्राधिकार के द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है, तब तक जमाबंदी को वैध माना गया है। उक्त आदेश के आधार पर भी उनके द्वारा नामांतरण हेतु दिया गया आदेश विधि के अनुकूल है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अंचलाधिकारी के रूप में स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि कार्य करते हुए कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं किया हूँ। उनके द्वारा अवैध जमाबंदी नहीं किया गया है बल्कि पूर्व से पंजी 2 में कायम जमाबंदी को सत्य मानकर राजस्व कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नेक नीयति से विधि के अनुकूल नामांतरण किया गया।

(v) संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी का प्रतिवेदन के पृष्ठ सं०-31 के प्रथम पारा 1 में लिखा है कि 'पंजी 2 के भोल्याम 1 के पृष्ठ सं०-68 पर दशरथ साव पिता तुलसी साव के नाम से जमाबंदी कायम है', जो पूर्व से ही कायम था और पंजी 2 में जमाबंदी कायम है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। इस बात को संचालन पदाधिकारी के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण संचालन पदाधिकारी का मंतव्य दोषपूर्ण है।

संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी का प्रतिवेदन के पृष्ठ सं०-31 के प्रथम पारा 2 में लिखा है कि 'खाता सं० 2, 4, 6, 9, 10, 12 की जमीन रैयती है, जो गंड्जु परिवार के नाम से खतियान में दर्ज है परन्तु पंजी 2 में उक्त जमीन भी तुलसी साव के नाम से दर्ज है, जो पूर्व से ही कायम था और पंजी 2 में जमाबंदी कायम है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। यह जाँच का विषय है कि पंजी 2 में नवल किशोर गुप्ता एवं दशरथ साव पिता तुलसी साव का नाम कैसे दर्ज हुआ या किसके कार्यकाल के दौरान दर्ज हुआ या किसने दर्ज किया। इस विषय पर संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच नहीं की गयी जबकि उन्होंने प्रारंभ से ही यह बात कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान पंजी 2 में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बल्कि उपलब्ध पंजी 2 के आधार पर ही राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण की सभी प्रक्रियाओं को अनुपालन करते हुए उनके द्वारा नामांतरण की स्वीकृति दी गयी। उनके द्वारा पूर्व से चली आ रही जमाबंदी का ही नामांतरण किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में जाँच नहीं की गयी। ऐसी परिस्थिति में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य दोषपूर्ण है।

अंचलाधिकारी के रूप में उपलब्ध पंजी 2 के आधार पर नामांतरण का आदेश देना विधि के अनुकूल है। अंचलाधिकारी को उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही आदेश पारित करना है। संचालन पदाधिकारी द्वारा Land Reforms Act under Section 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 or an application under Section 11 and 12 or a report under Section 13 पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी परिस्थिति में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य दोषपूर्ण है।

(vi) पेज संख्या 32 के पारा सं० 2 में संचालन पदाधिकारी का यह कथन कि 'उद्धृत न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेश जारी होने के काफी पूर्व का कृत्य है। फलतः आरोपी पदाधिकारी द्वारा उक्त आदेश को उद्धृत करते हुए अपने को निर्दोष प्रमाणित करने का संबंधित बचाव बयान को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता'। यह मंतव्य स्वयं में दोषपूर्ण है, क्योंकि प्रशासनिक तथा न्यायिक आदेश होने के बाद ही उसका हवाला दिया जा सकता है तथा उसके आधार पर ही किये गये कार्य का विश्लेषण किया जा सकता है या गुण दोष देखा जा सकता है। उपरोक्त प्रशासनिक एवं न्यायिक आदेश के आधार पर वे पूर्णतः निर्दोष हैं।

(vii) पेज संख्या 32 के पारा सं० 3 में संचालन पदाधिकारी का यह कथन कि 'राजस्व पदाधिकारी के रूप में राजस्व अभिलेखों की पूर्णरूपेण गहन रूप से गुण दोष की जाँच नहीं किये जाने के फलस्वरूप भूमि अवैध जमाबंदी कायम हुई। राजस्व पदाधिकारी के रूप में यदि प्रस्तुत अभिलेख की गहन जाँच की जाती तो अवैध रूप से कायम जमाबंदी का नामांतरण संभव नहीं था ।

उन्होंने अंचल में उपलब्ध कागजातों का जाँच किया। अंचल में खतियान उपलब्ध नहीं था, भूमि के संबंध में पंजी 2 ही सर्वमान्य दस्तावेज, झारखण्ड के सभी अंचलों में है। उन्होंने पंजी 2 को देखा था तथा उसमें पाया था कि जमाबंदी चल रही है। केवल नामांतरण का मामला उनके समक्ष राजस्व कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के द्वारा अग्रसारित होकर उपस्थापित किया गया था। उन्होंने यह भी देखा था कि पूर्व के अंचल अधिकारी द्वारा उल्लेखित पंजी 2 को दिनांक 16.09.1974 को अभिप्रमाणित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अभिलेख के साथ उपस्थापित पंजी 2 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। जाँच पदाधिकारी का यह कथन कि जमाबंदी कायम की गयी है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जमाबंदी कायम नहीं किया है बल्कि पूर्व से कायम जमाबंदी के आधार पर नामांतरण का आदेश दिया है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर संचालन पदाधिकारी का मंतव्य सभी उपलब्ध दस्तावेज पर आधारित नहीं है। साथ ही साथ विधि द्वारा स्थापित निर्णयों के अनुकूल भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य दोषपूर्ण है ।

संचालन पदाधिकारी द्वारा बताये जा रहे गंडु परिवार के द्वारा आज तक लगभग बारह वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है और विभागीय स्तर से भी उक्त नामांतरण को अवैध घोषित नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा दिया गया नामांतरण का आदेश को दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके ऊपर लगाये गये आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है ।

श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) श्री प्रमोद राम, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कुंदा, चतरा द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में उन्हीं सभी तथ्यों को रखा गया है, जो पूर्व में उनके द्वारा अपने बचाव बयान में रखा गया था, जिसके आधार पर ही उनके विरुद्ध दण्ड प्रस्तावित किया गया है ।

(ii) श्री राम द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को जिन आधारों पर दोषपूर्ण कहा है, वे सभी इनके द्वारा पूर्व में समर्पित बचाव बयान में निहित है। इनके द्वितीय कारण पृच्छा में इनके द्वारा पूर्व में समर्पित बचाव बयान में उल्लेखित तथ्यों से भिन्न कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

(iii) सभी अंचल द्वारा खतियान को ऑनलाईन भी किया गया है एवं अभी भी बहुत सारे खतियान रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध है, अतः आवश्यकतानुसार इसका सत्यापन ऑनलाईन पोर्टल एवं रिकार्ड रूम से की जा सकती है। किसी तथ्य पर संदेह होने पर स्थल जाँच भी किया जा सकता है ।

(iv) आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में माननीय लोकायुक्त एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए बताया गया है कि पंजी 2 में गलत जमाबंदी/दाखिल खारिज हेतु मात्र राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक दोषी हैं, यह भी बताया गया है कि मात्र दखल कब्जा के आधार पर दाखिल खारिज की जा सकती है। आरोपी पदाधिकारी का उक्त कथन स्वीकार

योग्य नहीं है, क्योंकि गलत जमाबंदी का मामला संज्ञान में आने पर अंचल अधिकारी को जाँच कर कार्रवाई करना उनका महत्वपूर्ण दायित्व है। अंचल स्तर पर सभी राजस्व कार्य विधि अनुकूल करने हेतु वे पूर्णरूपेण जिम्मेवार हैं।

(v) आरोपी पदाधिकारी द्वारा द्वितीय स्पष्टीकरण में विभिन्न न्यायादेशों एवं दाखिल खारिज की प्रक्रिया का हवाला देते हुए स्वयं को आरोप मुक्त करने का प्रयास किया गया है। परन्तु आरोप से संबंधित बिन्दु यथा पंजी-2 में कायम गलत जमाबंदी एवं मात्र उसके आधार पर दाखिल खारिज करने के आरोप को अप्रमाणित करने से संबंधित कोई विशेष साक्ष्य या आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री प्रमोद राम, झांप्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कुंदा, चतरा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रमोद राम, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PARMOD RAM 20080400072	श्री प्रमोद राम, झांप्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कुंदा, चतरा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
